विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0023212

श्री सुनील त्रिवेदी,
डायरेक्टर, — आवेदक
मेसर्स टेक टेक्सटाईल्स,
प्लॉट नं. 64–ए, सेक्टर 1 इण्डस्ट्रीयल एरिया,
पीथमपुर, जिला – धार (म.प्र.) 454774

विरूद्ध

अधीक्षण यंत्री (संधा./संचा.) संभाग, — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जी.पी.एच. कम्पाउण्ड, पोलोग्राउण्ड,
इन्दौर (म.प्र.) – 452003

आवेदक की ओर से श्री दिलीप सिंह भदौरिया उपस्थित ।
अनावेदक की ओर से श्री डी.एस. पंवार, अधिवक्ता उपस्थित ।

आदेश

(आज दिनांक 12.09.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर तथा उज्जैन क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया जावेगा) के शिकायत क्रमांक W0184611 श्री सुनील त्रिवेदी विरूद्ध मुख्य अभियंता में पारित आदेश दिनांक 06.07.2011 के विरूद्ध यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि उसके परिसर में अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा 650 के.वी.ए हार्स पावर का विद्युत कनेक्शन दिया गया था । दिनांक 28 फरवरी को उसके परिसर में आग लगने के कारण फैक्टरी जल गई थी, अतः दिनांक 17 अप्रैल, 2010 को उसने एच.टी. कनेक्शन को 6 महीने बढ़ाने का आवेदन दिया था तथा उसी आवेदन में 100 के.वी.ए. का अस्थायी कनेक्शन प्राप्त करने का अनुरोध किया था । अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी ने उसके प्रस्ताव को मान्य किया था तथा 1 मार्च 2010 से 31 अगस्त 2010 तक 6 माह के लिए एग्रीमेंट की अवधि बढ़ा दी

थी तथा उसे पृथक से 100 के.वी.ए. का अस्थायी कनेक्शन प्रदान किया था । उपभोक्ता ने 27 जुलाई 2010 को 650 के.वी.ए. भार में कमी कर 325 के.वी.ए. किए जाने का निवेदन किया था । 14 सितम्बर 2010 उसे भार कम किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा 8 अक्टूबर, 2010 को भार में कमी किए जाने का पूरक अनुबंध किया गया था, परन्तु ऐसा अनुबंध किए जाने के एक माह तक उक्त अनुबंध के अनुसार भार में कमी नहीं की गई थी तथा उसका अस्थायी विद्युत कनेक्शन का विच्छेदन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में सितम्बर तथा अक्टूबर माह के लिए उसे 325 के.वी.ए. के आधार पर बिलिंग की गई है, इसके साथ ही अस्थायी विद्युत कनेक्शन के लिए 100 के.वी.ए. की बिलिंग की गई है । अतः एक ही विद्युत संयोग के उसे जो 2 बिल दिए गए हैं उनको मिलाया जाकर उसके द्वारा जो भी विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया है उसके मूल्य की संगणना 325 के.वी.ए. भार के आधार पर की जाए तथा उपभोक्ता से जो अतिरिक्त राशि जमा कराई गई है वह उसे वापस दिलाई जाए ।

3. अनावेदक की ओर से उपभोक्ता की शिकायत का विरोध मुख्य रूप से इस आधार पर किया गया है कि 650 के.वी.ए. का जो विद्युत संयोजन उपभोक्ता को दिया गया था, उस संयोजन से संबंधित परिसर के जल जाने की सूचना उपभोक्ता द्वारा दिए जाने पर 6 माह की अवधि के लिए अनुबंध को बढ़ा दिया गया था तथा उपभोक्ता द्वारा मांग किए जाने पर उसे पृथक से 100 के.वी.ए. का अस्थायी विद्युत कनेक्शन दिया गया था । उपभोक्ता द्वारा मांग किए जाने पर उसके उक्त विद्युत कनेक्शन को काटा गया था । इसके पूर्व उपभोक्ता ने भार में कमी किए जाने का आवेदन पेश किया था, जिसे स्वीकार किया गया था । अतः अनुबंध की शर्तों के अनुसार 325 के.वी.ए. का पृथक से बिल तथा अस्थायी कनेक्शन का पृथक बिल उपभोक्ता को दिया गया है और दोनों बिल उपभोक्ता पृथक–पृथक देने के लिए उत्तरदायी है ।

4. फोरम ने यह पाया है कि उपभोक्ता ने जो अस्थायी कनेक्शन लिया था उस कनेक्शन के संबंध में कनेक्शन विच्छेदित किए जाने की दिनांक तक उसने विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया था । अतः ऐसे अस्थायी कनेक्शन के संबंध में उसके द्वारा जो विद्युत ऊर्जा उपभोग की गई थी उसका भुगतान करने के लिए वह पृथक से उत्तरदाई हैं । इसके अतिरिक्त 325 के.वी.ए. भार के संबंध में जो विद्युत ऊर्जा की मांग अनावेदक की ओर से की गई है वह उचित है, क्योंकि संविदा की शर्तों के अनुसार ऐसा करने का अधिकार अनावेदकगण को है ।

5. **विचारणीय प्रश्न यह है कि :–**

क्या अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी उपभोक्ता से 325 के.वी.ए. भार के अतिरिक्त 100 के.वी.ए. के अस्थायी कनेक्शन के लिए पृथक – पृथक विद्युत ऊर्जा की वसूली प्राप्त करने की अधिकारी है ?।

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :

6. उभयपक्षों की ओर से मामले से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, परन्तु उन दस्तावेजों की विधिवत् सूची प्रस्तुत नहीं की गई है और उन्हें चिन्हित भी नहीं किया गया है । अतः आदेश लेख कराते समय जिन दस्तावेजों का उपयोग किया गया है उन्हें पृथक से चिन्हित किया जाता है ।

7. 'अनुलग्न – क' दस्तावेज के अनुसार उभयपक्ष के मध्य नवीन विद्युत आपूर्ति हेतु 12.11.09 को अनुबंध निष्पादित हुआ था । इस अनुबंध के अनुसार उपभोक्ता को दिनांक 30.12.09 से 650 के.वी.ए. के अधिकतम भार की विद्युत आपूर्ति किए जाना था ।

8. 'अनुलग्न – ख' पत्र के अनुसार उपभोक्ता के परिसर में आग लग जाने के कारण 6 माह के लिए अनुबंध को बढ़ा दिया गया था अर्थात् 1 मार्च 2010 से 31 अगस्त 2010 तक उपभोक्ता को उक्त अनुबंध की शर्तों के अनुसार विद्युत प्रदाय नहीं किया जाना था ।

9. 'अनुलग्न – ग' दस्तावेज के अनुसार उपभोक्ता तथा विद्युत वितरण कम्पनी के मध्य 100 के.वी.ए. का अस्थायी विद्युत कनेक्शन दिया गया था अर्थात् 04.06.2010 से 09.11.2010 तक की अवधि के लिए अस्थायी कनेक्शन दिया गया था ।

10. इसी अवधि में उपभोक्ता ने 27 जुलाई, 2010 को भार में कमी किए जाने का आवेदन मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 7.9 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था । उपभोक्ता के उक्त आवेदन को स्वीकार किया गया था तथा संविदा मांग 650 के.वी.ए. के स्थान पर 325 के.वी.ए. की गई थी और इस संबंध में उभय पक्ष के मध्य संहिता की धारा 7.14 के अनुसार पूरक अनुबंध निष्पादित किया गया था जो 'अनुलग्न – घ' है ।

11. 'अनुलग्न – घ' दस्तावेज दिनांक 08.10.10 को निष्पादित किया गया है और इस अनुबंध के अनुसार सितम्बर 2010 से उपभोक्ता के भार अर्थात् संविदा मांग में कमी किया जाना था ।

12. उपभोक्ता ने अस्थाई कनेक्शन को विच्छेदित करने का आवेदन 19.10.2010 को प्रस्तुत किया था । उक्त आवेदन को स्वीकार किया जाकर दिनांक 09.11.10 को उपभोक्ता के अस्थाई कनेक्शन को विच्छेदित किया गया था, जिससे संबंधित दस्तावेज 'अनुलग्न – च' है ।

13. 'अनुलग्न – च' दस्तावेज के अनुसार 09.11.10 को उपभोक्ता का अस्थाई कनेक्शन विच्छेदित किया गया था तथा इसी दिन से उसे 325 के.वी.ए. का भार प्रदान किया जाना (दिनांक 08.10.2010 को निष्पादित अनुबंध 'अनुलग्न – घ' के अनुसार) प्रारंभ किया गया था ।

14. उभयपक्ष की ओर से उक्त दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के संबंध में कोई विवाद नहीं किया गया है । यह तथ्य भी विवादित नहीं है कि उपभोक्ता के परिसर में आग लगने के कारण वह 'अनुलग्न – क'

अनुबंध के अनुसार विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं था, उसकी मांग पर अनुबंध की अवधि बढ़ाई गई थी । उपभोक्ता की मांग पर ही उसे पृथक से अस्थाई कनेक्शन दिया गया था । उपभोक्ता की मांग पर ही उसके भार में कमी की गई थी । पक्षकार के मध्य विवाद केवल यह है कि भार में कमी किए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने के तत्काल बाद क्या अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के द्वारा उपभोक्ता को जो अस्थाई कनेक्शन दिया गया था उसे विच्छेदित कर देना चाहिए था तथा क्या यदि ऐसा कनेक्शन विच्छेदित नहीं किया गया था तो उक्त कनेक्शन से जितनी मात्रा में विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया था उसके टैरिफ की गणना कम किए गए भार के अनुसार किया जाना चाहिए । इन तथ्यों पर विचार करते समय हमें विधि के सुसंगत प्रावधानों पर विचार किया जाना उचित होगा ।

15. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 में विद्युत की आपूर्ति के संबंध में आकस्मिक विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं । संहिता की धारा 11.2 के प्रावधान इस मामले में लागू होते हैं तथा इसी प्रावधान के अनुसार उपभोक्ता के अनुबंध की अवधि को 6 महीनें के लिए बढ़ाया गया था ।

16. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 4.54 के प्रावधानों के अनुसार औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा उनकी इकाईयां स्थापित किए जाने के प्रयोजन से उपकरणों की संस्थापना हेतु अस्थाई विद्युत प्रदान किया जा सकता है और अस्थाई विद्युत कनेक्शन की अवधि को 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है । 'अनुलग्न – ग' विद्युत वितरण कम्पनी के पत्र दिनांक 28.04.10 के अनुसार उपभोक्ता को 6 माह की अवधि के लिए अस्थाई विद्युत कनेक्शन पृथक से दिया गया था । मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 11.2 और धारा 4.54 के प्रावधान इस मामले में लागू होते हैं तथा इसी प्रावधानों के अन्तर्गत अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय उपभोक्ता के अनुरोध पर ही किया गया था । विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा की गई कार्यवाही उक्त प्रावधानों के अनुरूप थी अथवा अपने एकाधिकार शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उपभोक्ता से अनुचित लाभ प्राप्त किया गया था ।

17. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 के 11.2 के प्रावधानों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि विशेष आकस्मिक परिस्थितियों के कारण यदि अनुबंध के चालू रहते किसी भी समय उपभोक्ता पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से संभव न कर पाए तो संबंधित वोल्टेज स्तर पर संविदा मांग की आवश्यक एवं शाक्य अनुमति सीमा में घटाई गई मात्रा में विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर सकेगा तथा घटाई गई विद्युत प्रदाय की मात्रा न्यूनतम 30 दिवस एवं अधिकतम 6 माह की अवधि तक के लिए होगी । इस मामले में

उपभोक्ता की फैक्ट्री जली थी यह विशेष और आकस्मिक परिस्थितियां थी और इन्हीं परिस्थितियों के अनुसार उसने घटी हुई मात्रा में विद्युत की आपूर्ति किए जाने का अनुरोध किया था । यद्यपि उसने अपने अनुरोध पत्र में 100 के.वी.ए. की पृथक से विद्युत आपूर्ति किए जाने का अनुरोध किया था, परन्तु उसका आशय 650 के.वी.ए. के स्थान पर घटी हुई मात्रा अर्थात् 100 के.वी.ए. की विद्युत आपूर्ति को प्राप्त करना था। यहां अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अनुबंध की कालावधि को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था, परन्तु घटाई हुई मात्रा में विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के उपभोक्ता के अधिकार को मान्य न करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 4.54 के अनुसार 6 महीने के लिए अस्थाई विद्युत कनेक्शन दे दिया था तथा उसके लिए पृथक से देयक जारी कर उपभोक्ता से विद्युत प्रभार की वूसली की थी ।

18. विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा 650 के.वी.ए. भार के लिए निष्पादित संविदा के आधार पर संहिता की धारा 11.2 के प्रावधानों के अनुसार विद्युत प्रदान की जाए अथवा अस्थाई विद्युत प्रदान के लिए संहिता की धारा 4.54 के अनुसार विद्युत प्रदान किया जाए । इससे उपभोक्ता के हितों पर प्रत्यक्ष रूप से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार उसे विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है । अन्तर केवल इस बात का पड़ता है कि स्थाई विद्युत कनेक्शन के लिए विद्युत का टैरिफ अलग है तथा अस्थाई विद्युत कनेक्शन के लिए विद्युत का टैरिफ अलग है । ऐसी स्थिति में स्थाई विद्युत कनेक्शन के टैरिफ की दर से उपभोक्ता से ऊर्जा का मूल्य यदि वसूल किया जाता तो वह निश्चित रूप से अस्थाई विद्युत के लिए जो टैरिफ निर्धारित है उससे कम होता । इस मामले में उपभोक्ता से स्थाई कनेक्शन का टैरिफ वसूल न करते हुए जो अस्थाई विद्युत कनेक्शन का टैरिफ वसूल किया गया है । इस टैरिफ के संबंध में उपभोक्ता ने प्रारंभ से आपत्ति न करते हुए केवल यह आपत्ति की है कि जब से उसे 325 के.वी.ए. भार स्वीकृत हुआ उस समय से उसे इस भार के मान से विद्युत ऊर्जा के प्रभार की वसूली की जाए । यद्यपि उपभोक्ता ने जो आवेदन पेश किया है उनका अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता से दोहरे बिल वसूल किए जा रहा हैं, लेकिन इस मामले में दोहरे बिल का विवाद होना परिलक्षित नहीं होता, मुख्य्य विवाद विद्युत ऊर्जा के टैरिफ से संबंधित है ।

19. इस मामले में उपभोक्ता के परिसर में आग लगने की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संहिता की धारा 11.2 तथा पक्षकार के मध्य निष्पादित संविदा दिनांक 12.11.09 के प्रावधानों के अनुसार अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी का यह दायित्व था कि विशेष परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में वह उपभोक्ता को घटाई गई मात्रा में विद्युत आपूर्ति प्रदान करता अर्थात् यदि उपभोक्ता को 6 माह की अवधि के लिए

केवल 100 के.वी.ए. विद्युत भार की आवश्यकता थी तो उसे इस मान से विद्युत प्रदाय किया जाता, इसी मान से विद्युत ऊर्जा का टैरिफ वसूल किया जाता ।

20. 'अनुलग्न – घ' दिनांक 14 सितम्बर 2010 को उपभोक्ता की भार में कमी किए जाने के आवेदन को स्वीकार किया गया था । यह कमी संहिता की धारा 7 के उपबंधों के अनुसार की गई थी तथा धारा 7.14 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 08.10.10 को पूरक अनुबंध निष्पादित किया गया था । धारा 7.11 के खण्ड – स के प्रावधानों के अनुसार संविदा मांग में कमी किए जाना उक्त माह की प्रथम तिथि से प्रभावशील होता है । दिनांक 14 सितम्बर 2010 को उपभोक्ता के संविदा मांग में कमी किए जाने के आवेदन को स्वीकार किया गया था । अतः दिनांक 1 अक्टूबर 2010 से संविदा मांग में कमी होना मान लिया जाएगा, इस संबंध में पक्षकारों के मध्य भले ही 8 अक्टूबर 2010 को पूरक अनुबंध हुआ हो, परन्तु अनुबंध निष्पादित होने के पूर्व अक्टूबर माह का पहली तारीख से ही संविदा मांग में कमी होना माना जाएगा।

21. इस मामले में अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी ने संहिता की धारा 11.2 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता को घटाई हुई मात्रा में विद्युत की आपूर्ति न करते हुए उसे पृथक से अस्थाई कनेक्शन के रूप से विद्युत की आपूर्ति की गई थी । विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अपनाई गई उक्त प्रक्रियां संहिता के उपबंधों के विपरीत होने से अवैध है, अतः यही माना जाएगा कि उपभोक्ता को 100 के.वी.ए. भार की जो विद्युत आपूर्ति की गई थी वह धारा 11.2 के प्रावधानों के अनुसार घटी हुई मात्रा में विद्युत की आपूर्ति किया जाना था । इस मामले में उपभोक्ता ने जब से अस्थाई कनेक्शन दिया गया उस दिन से संहिता की धारा 11.2 के प्रावधानों के अनुसार लाभ प्राप्त करने का अनुरोध नहीं किया है, इसके स्थान पर उसने संविदा मांग 650 के.वी.ए. के स्थान पर 325 के.वी.ए. किए जाने की दिनांक अक्टूबर 2010 से उक्त भार के अनुपात में विद्युत ऊर्जा का शुल्क किए जाने का अनुरोध किया है । ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को अक्टूबर 2010 जिस दिन से उसके संविदा भार में कमी होना माना गया है, की दिनांक से संहिता की धारा 11.2 के प्रावधानों के अनुसार अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा घटाई गई मात्रा में विद्युत आपूर्ति का प्रदान किया जाना माना जाएगा । इसका परिणाम यह होगा कि अक्टूबर 2010 से अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अस्थाई विद्युत कनेक्शन के रूप में उपभोक्ता से जो विद्युत ऊर्जा का मूल्य वसूल किया गया है को वसूल पाने का अधिकार अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी को नहीं होगा । इसका परिणाम यह भी होगा कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी अक्टूबर 2010 से उपभोक्ता द्वारा जिस विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया है उस

ऊर्जा के मूल्य को 325 के.वी.ए. भार के लिए निर्धारित टैरिफ के अनुसार ही वसूल पाने का अधिकारी होगा ।

: निष्कर्ष :

22. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह साबित पाया जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी विद्युत वितरण द्वारा उपभोक्ता से यद्यपि एक ही ऊर्जा का दोहरा प्रभार वसूल नहीं किया जा रहा है, परन्तु स्थाई एवं अस्थाई विद्युत कनेक्शन के लिए जो पृथक–पृथक विद्युत ऊर्जा का प्रभार वसूल किया जा रहा है वह संहिता की धारा 11.2 के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है ।

23. अतः उपभोक्ता का अभ्यावेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी उपभोक्ता से दिनांक 08.10.10 को निष्पादित संविदा के अनुसार अक्टूबर माह की पहली तारीख से उपभोक्ता द्वारा स्थाई 325 के.वी.ए. स्वीकृत भार के लिए जो विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया है तथा अस्थाई कनेक्शन के लिए 100 के.वी.ए. भार के लिए जिस विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया है उन दोनों को समाहित करते हुए 325 के.वी.ए. के लिए निर्धारित टैरिफ के अनुसार विद्युत ऊर्जा का संशोधित देयक तैयार करें । इस संशोधित देयकों के अनुसार वह उपभोक्ता से विद्युत ऊर्जा का प्रभार वसूल पाने के अधिकारी होंगे । उपभोक्ता द्वारा यदि इस प्रयोजन हेतु ज्यादा राशि जमा की गई हो तो उस राशि को उसे 3 माह के अन्दर वापस किया जाए अथवा आगे आने वाले देयकों में उसका समायोजन किया जाए ।

24. यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 100 के.वी.ए. के अस्थाई कनेक्शन के संबंध में ऊर्जा प्रभार में लिए यदि उपभोक्ता को कोई क्रेडिट दिया गया हो तो उस क्रेडिट को भी नवीन संशोधन देयक जारी करते समय संगणना के लिए ध्यान में रखा जावे ।

25. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल